बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–24.01.2025

वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के गठन हेतु आयोजित लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 का मतदान सात चरणों में संपन्न होने के उपरांत दिनांक 04 जून 2024 को मतगणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान और मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में संपन्न किया गया।

राज्य में 38 जिलों में से 05 जिले (शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा एवं सहरसा) के जिला पदाधिकारियों को लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया। इस प्रकार, 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना कार्य 33 जिलों में ही संपन्न हुआ।

निर्वाचन के दौरान आर्थिक व्यय का तुलनात्मक अध्ययन

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 में 72,723 मतदान केंद्रों पर मतदान संचालन हेतु ₹579.42 करोड़ खर्च किए गए, जिसमें 40 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 243 विधानसभा क्षेत्रों का औसत व्यय ₹2.25 करोड़ प्रति विधानसभा था। वहीं, लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में 77,462 मतदान केंद्रों पर मतदान संचालन हेतु ₹824 करोड़ खर्च किए गए, जिसमें 38 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 234 विधानसभा क्षेत्रों का औसत व्यय ₹2.92 करोड़ प्रति विधानसभा रहा। इस प्रकार, 05 वर्षों के अंतराल में प्रति विधानसभा औसत व्यय में ₹0.67 करोड़ (लगभग 25%) की वृद्धि हुई।

व्यय की वृद्धि के कारणः–

- मतदान कर्मियों के मानदेय में 30–40% की वृद्धि।
- अधिग्रहित वाहनों के मुआवजे में 25–40% की वृद्धि।
- वाहन ईंधन दर में 50% की वृद्धि।
- मतदान केंद्रों की संख्या में 8% की वृद्धि।
- अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति में 70% की वृद्धि।
- वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्रों में 400% की वृद्धि।
- मतगणना/चेकपोस्ट स्थलों पर शत–प्रतिशत CCTV की स्थापना।
- 05 वर्षों के अंतराल के कारण सभी सामग्री की दरों में वृद्धि।
- मतदान दल के डिस्पैच केंद्रों पर अलग–अलग टेंट–शामियाना की व्यवस्था।
- 2019 की अपेक्षा अधिक गर्मी में चुनाव संपन्न कराने हेतु टेंट व्यवस्था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 से मानदेय, वाहन मुआवजा, और अन्य व्यय में वृद्धि तथा कार्यों की बढ़ोत्तरी के बावजूद, वित्तीय नियंत्रण के तहत लगातार अनुश्रवण और समीक्षा के कारण लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में राज्य का औसत व्यय ₹2.92 करोड़ प्रति विधानसभा ही रहा। ऐसे में मौजूदा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के दौरान राज्य में मानदेय, वाहन मुआवजा, और अन्य खर्चों में वृद्धि के बावजूद वित्तीय अनुशासन का बने रहना निर्वाचन मशीनरी के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। बढ़े हुए व्यय के बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में आर्थिक दक्षता प्रभावी योजना एवं पर्यवेक्षण, निगरानी और विवेकपूर्ण प्रबंधन का परिणाम है।

ऐसे में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में राज्य का विधान सभावार औसत व्यय ₹2.92 करोड़ से कम व्यय करने वाले 16 जिलों में शेखपुरा, बांका, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली, अरवल, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, और मधुबनी शामिल हैं। इन जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत सराहनीय कार्य हेतु प्रशंसा पत्र मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से दिया गया है।

****